अतिमहत्वपूर्ण

संख्या–106 / 52–3–2013–14(72) / 95टी0सी0–ए

प्रेषक,

लीना जौहरी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 14 जनवरी, 2013

विषयः–पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के समस्त पात्र छात्र / छात्राओं को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौध, पारसी एवं जैन) के पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने के संबंध में समय–समय पर शासन द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इस संबंध में शासन स्तर से निर्गत पार्श्वांकित महत्वपूर्ण शासनादेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं को निर्धारित दरों एवं शर्तों पर छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। छात्रवृत्ति दिये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 1 से 10 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्रओं को छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुये उन्हें पठन–पाठन हेतु लगनशील एवं एवं जागरूक बनाया जा सके। अतएव इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को समेकित करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में छात्रवृत्ति हेतु शासनादेश संख्या–1845 / 52–3–2012– 14(72) / 95टी0सी0–ए दिनांक 24 जुलाई, 2012 द्वारा संशोधित व्यवस्था लागू की गयी थी।

क0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक
1	शा0स0 1935 / 52–3–97–14(72) / 95 दि0 05.11.1997
2	शा0सं0 1571 / बावन–3–97–14(72) / 95टी0सी0 दि0 24.11.1997
3	शा0स0 1887 / 26–3–2002–4(215) / 90टी0सी0 दिनांक 10.07.2002
4	शा0सं0 874 / 35–4–2007 दि0 22.06.2007
5	शा0सं0 2917 / बावन–3–08–14(72) / 95टी0सी0 दि0 10.10.2008
6	शा0सं0 2238 / 26–3–2011 दि0 06.07.2011
7	शा0सं0 766 / 52–3–12–8(12) / 2004 दि0 17.04.2012

इस योजना के संचालन में पारदर्शिता एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित किये जाने तथा छात्रवृत्ति के त्वरित भुगतान के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्वदशम कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्र / छात्राओं को राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने का निर्णय लेते हुये इस संबंध में शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1973 / 52–3–2012–14(72) / 95टी0सी0 दिनांक 13 अगस्त, 2012 निर्गत किया गया था। जिसके फलस्वरूप उक्त शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 में दी गयी व्यवस्था में व्यापक संशोधन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2012 को निरस्त करते हुये निम्नांकित व्यवस्था स्थापित की जाती है।

G.O. mohan

1. निवास--

यह छात्रवृत्ति केवल उत्तर प्रदेश में अध्ययन करने के लिए दी जायेगी। इस हेतु आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2 शिक्षा सत्र एवं छात्रवृत्ति की अवधि--

कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को उनके अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी, जिसकी अवधि प्रत्येक कक्षा में 12 माह होगी, किन्तु शैक्षणिक सत्र के मध्य में प्रवेश लेने वाले छात्रों को उस माह से छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी, जिस माह से उसने कक्षा में प्रवेश लिया हो, किन्तु यदि छात्र/छात्रा ने किसी माह की 20 तारीख के बाद प्रवेश लिया है, तो उस माह की छात्रवृत्ति उसे देय नहीं होगी।

3. छात्रवृत्ति की दरें

कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं को निम्नलिखित दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी--

क्रम सं0	कक्षा	दर प्रतिमाह
1	1 से 5	25/--
2	6 से 8	40/--
3	9 से 10	60/--

4 पात्रता

यह छात्रवृत्ति प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मदरसा शिक्षा परिषद तथा संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को अनुमन्य होगी।

5. आय-सीमा

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्रायें, पात्र होंगे, जिनके अभिभावकों की अधिकतम आय रू0 1,00,000/-- वार्षिक है। आय प्रमाण पत्र सदस्य लोक सभा/राज्य सभा/विधान मण्डल/जिला परिषद/नगर पालिका/मुख्य नगर अधिकारी, तहसीलदार या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी मान्य होगा।

6. छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण:--

(1) शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही छात्रों से छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर विद्यालय/शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य द्वारा भरवाकर जमा कराये जायेंगे और पात्र छात्रों के आवेदन पत्र एवं सूची शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिनांक 15.12.2012 तक उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व ही आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर संरक्षित किये जायेंगे।

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों की सूची जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दिनांक 20.12.2012 तक उपलब्ध कराये जाने एवं नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं का नाम मास्टर डेटा में जोड़ने की अंतिम समय-सीमा दिनांक 25.12.2012 निर्धारित किये जाने हेतु शासन द्वारा पूर्व ही आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। इसके बाद नवीन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रवृत्ति देय होगी।

(3) शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रवेश के समय ही कक्षा 01, कक्षा 06 एवं कक्षा 09 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था स्तर पर भरवाये जायेंगे तथा पूर्व प्रवेशित छात्रों का नवीनीकरण संस्था स्तर पर करने के बाद सॉफ्टवेयर के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जायेगी। शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी का यह

दायित्व होगा कि वे एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किये गये सापटवेयर पर पुराने छात्रों के डिलीशन/प्रमोशन तथा नये छात्रों की डाटा फीडिंग (बावत सी0डी0 तथा हार्डकापी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संस्था स्तर पर जाँच तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरक्षित रखे जायेंगे।

(4) छात्रवृत्ति के वितरण के पूर्व सभी छात्र/छात्राओं का समस्त विवरण अद्यावधिक कराते हुए समस्त अभिलेख एवं कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों का पूर्ण परीक्षण एवं जाँच शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा की जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु मांगपत्र/सी0डी0 सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाने की अन्तिम समय-सीमा(नव प्रवेशित छात्रों सहित) दिनांक 15.12.2012 निर्धारित किये जाने हेतु शासन द्वारा आवश्यक निर्देश पूर्व ही निर्गत किये जा चुके हैं।

(5) ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में समान रूप से कक्षा 1 से 10 तक के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित करके भुगतान की जायेगी। पूर्वदशम छात्रवृत्ति का वितरण एक ही किश्त में किया जायेगा।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के पात्र छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी :-

(अ) छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत् निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी :-

1-ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2-ग्राम पंचायत के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य तथा अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत का सदस्य जो उम्र में वरिष्ठतम हो।	सदस्य
3-संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य एवं संयोजक
4-संबंधित विद्यालय में अल्पसंख्यक समुदाय का वरिष्ठतम अध्यापक तथा उसकी अनुपलब्धता की स्थिति में विद्यालय का वरिष्ठतम अध्यापक	सदस्य

(ब) ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-1 से 10 तक के सभी अर्ह छात्र-छात्राओं की सूची विद्यालयों से प्राप्त करके ग्राम पंचायतवार संकलित करके संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जायेगी।

(स) छात्रवृत्ति वितरण संबंधी कार्य की पुष्टि एवं सत्यापन के संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि वे जनपद स्तर पर एन0आई0सी0 के जेनरेटेड मांग के आधार पर बैंकों को प्रेषित की गयी धनराशि के संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अन्तरण की पुष्टि एवं बैंक स्तर पर अवशेष अवितरित धनराशि के संबंध में बैंक स्तर से सूचना प्राप्त करते हुये उसके निराकरण के उपरान्त उपयोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अवशेष धनराशि को नियमानुसार जवाहर भवन लखनऊ स्थित स्टेट बैंक की शाखा में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. शहरी क्षेत्रों में कक्षा 1 से 10 तक के पात्र छात्र/छात्राओं का चयन तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनायी जायेगी :-

(अ) छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नवत् निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी :-

1-विद्यालय के प्रधानाध्यापक	अध्यक्ष
2-नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के संबंधित वार्ड(कोष्ठक) के निर्वाचित सभासद	सदस्य
3-सभासद का निकटतम प्रतिद्वन्दी	सदस्य

4–विद्यालय प्रबंध समिति(जहां हो) के अल्पसंख्यक समुदाय के सभी सदस्यों के अतिरिक्त समिति द्वारा नामित एक सदस्य — सदस्य

5–निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में विद्यालय के प्रबन्धक अथवा प्रबन्धक द्वारा नामित प्रतिनिधि — सदस्य

(ब) छात्रवृत्ति की धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त अर्ह छात्रों की सूची के आधार पर छात्रों/उनके अभिभावकों के बैंक खाते में अन्तरित की जायगी जिसकी सूचना संबंधित विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी।

9. <u>उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्तिः–</u>

(1). (अ) ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए उपरोक्त प्रस्तर–7 में उल्लिखित प्रकिया लागू रहेगी।

(ब) उपरोक्त बिन्दु (अ) के अतिरिक्त छात्रवृत्ति की स्वीकृति निम्नलिखित समिति द्वारा की जायेगी।

1. प्रधानाचार्य — अध्यक्ष
2. अल्पसंख्यक समुदाय के 02 तथा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य वर्ग के वरिष्ठतम अध्यापक — सदस्य

(स) जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त सत्यापित छात्रों की सूची के आधार पर धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अन्तरित करायी जायेगी।

(2) जनपदों द्वारा साप्ताहिक आधार पर एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर पर अपलोड की गयी मांग के आधार पर साप्ताहिक रूप में **दिनांक 30.01.2013** तक निदेशालय द्वारा छात्रवृत्ति की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक आफ इण्डिया, जवाहर भवन, लखनऊ के माध्यम से जनपद के स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खुले नोशनल खाते में अन्तरित की जायेगी तथा संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का दायित्व होगा कि उक्त मांग की पूर्ण जॉच, परीक्षण एवं सत्यापन के आधार पर शुद्ध एवं सकल मांग की धनराशि जनपद के लीड बैंक के माध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं की सूची संलग्न करते हुये बैंक शाखावार धनराशि का अन्तरण संबंधित छात्र/छात्रा के खाते में अन्तरित करेगें।

(3) संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उक्त अन्तरित धनराशि की सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(4) कक्षा 1 से 10 तक के संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/संस्थाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह छात्रवृत्ति के लिए चयनित पात्र छात्र/छात्राओं की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त करके छात्र/छात्राओं के सूचनार्थ संस्था के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

(5) जो धनराशि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा संबंधित पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अन्तरित की जायेगी, उसकी सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को अनिवार्य रूप से दी जायेगी। अन्तरित छात्रवृत्तियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष शिक्षा सत्र के अन्दर 28 फरवरी, 2013 तक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को अनिवार्यरूप से उपलब्ध करा दिये जायेगें।

10. अवशेष धनराशि की नोशनल खाते में वापसी:-

पूर्व व्यवस्थानुसार जनपद स्तर से छात्रवृत्ति की मांग आनलाइन जनरेट होती थी और उसी के सापेक्ष मुख्यालय स्तर से धन की उपलब्धता के अनुसार जनपद स्तर पर खुले नोशनल खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जाती थी। तदुपरान्त कक्षा-9 व 10 के छात्रवृत्ति की धनराशि जनपद द्वारा छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में स्थानांतरित करते हुए छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जाता था। पूर्व व्यवस्था के अनुसार जो धनराशि वितरित होने से शेष रह जाती थी, उसे संस्थाओं एवं बैंकों द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को चेक के माध्यम से वापस किया जाता था। कक्षा-1 से 8 तक के लिये छात्रवृत्ति की धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों एवं विद्यालय के संयुक्त खाते से नकद वितरण की व्यवस्था थी।

शैक्षिक सत्र 2012-13 से कक्षा-1 से 10 तक अध्ययनरत पात्र अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खाते में अन्तरित किये जाने का निर्णय लिए जाने के फलस्वरूप अब बैंक स्तर पर अवशेष धनराशि बैंक एडवाइज के माध्यम से अवशेष अवितरित धनराशि जनपद की भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में खुले नोशनल खाते में अन्तरित करते हुये इसकी सूचना संबंधित जिलाधिकारी को दी जायेगी । जिसकी पुष्टि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा करते हुये उक्त अवितरित अवशेष धनराशि (सर्मपण योग्य) को बैंक एडवाइज के माध्यम से निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ के पद नाम से भारतीय स्टेट बैंक की जवाहर भवन की शाखा में खुले नोशनल खाते में अन्तरित की जायेगी।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को चेक के माध्यम से वापस प्राप्त धनराशि के दुरूपयोग एवं व्यपहरण की सम्भावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से यह निर्देशित किया जाता है कि "ग्राम शिक्षा निधि" के संचालकों (ग्राम प्रधान तथा प्रधानाध्यापक) तथा विद्यालयों के संयुक्त खाते के संचालकों(प्रधानाचार्य तथा वरिष्ठ अध्यापक) के संयुक्त हस्ताक्षर से छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि को अंकित करते हुए संबंधित बैंक की शाखा को इस आशय का लिखित अनुरोध पत्र (इनवाइस) भेजा जायगा कि उक्त अवशेष धनराशि जनपद स्तरीय नोशनल खाते में स्थानान्तरित कर दी जाय। इस अनुरोध पत्र (इनवाइस) की एक प्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी। संबंधित बैंक के प्रबंधक का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालय के संयुक्त खाते के संचालकों से प्राप्त उक्त अनुरोध पत्र के आधार पर अविलम्ब अवशेष धनराशि जनपद के नोशनल खाते में स्थानान्तरित कर दे तथा इस आशय की सूचना ग्राम शिक्षा निधि/विद्यालय के संयुक्त खाते के संचालकों एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को प्रेषित कर दें। अवशेष धनराशि जनपद स्तरीय नोशनल खाते में स्थानान्तरित हो जाने के उपरान्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा पुष्टि करने के पश्चात् अपने कार्यालय में अनुरक्षित रजिस्टर पर यह दर्ज किया जायेगा कि अमुक धनराशि अमुक "ग्राम शिक्षा निधि" के खाते से अमुक तिथि को जनपद स्तरीय नोशनल खाते में स्थानान्तरित हुई है।

11. आवंटित धनराशि के सापेक्ष वितरित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाना:-

छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण पात्र छात्र/छात्राओं को **30.01.2013 तक** अवश्य कर दिया जाय। निर्धारित तिथि के पश्चात् अवशेष धनराशि को उपरोक्तानुसार जनपद स्तरीय नोशलन खाते में वापस करने के उपरान्त इस शासनादेश के साथ संलग्नक-1 के रूप में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर प्रमाण पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को 31.03.2013 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

12. अन्य प्राविधान :–

(1) चूंकि छात्रवृत्ति व्यवस्था पूर्णरूपेण कम्प्यूटरीकृत है अतः एन0आई0सी0 द्वारा डेटा प्रोसस करते समय जो डेटा जंक पाया जाय उसे **20.01.2013 तक** शुद्ध कराकर पुनः वेबसाइट पर अपलोड कराने की व्यवस्था की जाये।

(2) यदि कोई छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल रहता है, तो उसे उस कक्षा के लिए दोबारा छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(3) यदि छात्र किसी अन्य योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति पाने का हकदार नहीं होगा।

(4) एक ही माता--पिता/अभिभावक के केवल दो बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे, परन्तु यह प्रतिबन्ध लड़कियों पर लागू नहीं होगा।

(5) योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष जनपद के समस्त अल्पसंख्यक पात्र छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जायेगा।

(6) इस संबंध में शासनादेश संख्या–1845/52–3–2012–14(72)/95टी0सी0–ए दिनांक 24.07.2012 अतिक्रमित किया जाता है।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(लीना जौहरी)
सचिव

संख्या–106(1)/26–3–2012 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/अधिष्ठान, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समाज कल्याण आयुक्त/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/श्रम विभाग, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0/निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
उप सचिव

G.O. mohan